C.N.R.No–UPLL100016952023

न्यायालय –अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, ललितपुर।

मु. नं. 1517/2023

सरकार बनाम सरोज कुमार

मु.अ.सं.–108/2023
धारा 506 भा०दं०सं०
थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।

आरोप

मैं, नरेश कुमार दिवाकर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, जिला ललितपुर मामले के विचारण हेतु आप अभियुक्त सरोज कुमार पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं–

1– यह कि दिनांक 02–07–2023 को समय करीब 13–00 बजे दिन, अन्तर्गत स्थान घर वादी मुकदमा, बहद ग्राम साढ़ूमल, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में आपने वादी मुकदमा के पुत्र के मोबाईल पर वादी मुकदमा की बेटी की वीडियो फोटो भेजकर, वादी मुकदमा की पुत्री द्वारा उसके पुत्र से शादी ने करने पर, उससे भी अभद्र फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। इस प्रकार आपने इस प्रकार का अपराध किया जो कि भा०दं०सं० की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपो के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक 27.06.2024

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी,ललितपुर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक 27.06.2024

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी, ललितपुर।

Digitally signed by NARESH KUMAR DIWAKARA
Date: 2024.06.29 09:19:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court